

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 156/06

संस्थित दिनांक -05/04/06

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना रूपझर
 जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

महेश यादव वल्द अनुपसिंह यादव
 उम्र 21 वर्ष निवासी-बोरी, थाना-
 बिरसा, जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक 18/01/2017 को घोषित }

1. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279,338 भा.दं0सं0 एवं मो.या.अधि. की धारा 3/181, 39/192 एवं 146/196 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 08.03.2006 को प्रातः 08:00 बजे ग्राम पाथरी सुरेश सेठ के मकान के सामने लोक मार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50/एम-1132 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन से टक्कर मार आहत प्रेमलाल को घोर उपहति कारित की तथा वाहन को बिना लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन तथा बीमा के चलाया।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोगी सुंदरसिंह द्वारा पाथरी चौकी में सूचना दी गयी कि घटना दिनांक 08/03/2006 को चालक महेश यादव द्वारा रोड़ किनारे खड़े ट्रेक्टर में बैठकर ट्रेक्टर स्टार्ट कर तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाकर साईकिल स्टोर्स में सामने मोटरसाईकिल पंचर बना रहे प्रेमलाल को टक्कर मार दी जिससे उसकी पसली तथा बख्खे में अंदरूनी चोटें आयीं। अपराध पंजीबद्ध कर आहत का मुलाहिजा कराया गया। द टनास्थल का मौकानक्शा बनाकर वाहन जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दंडप्र0सं0 में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी ने दि.08/03/06 को समय प्रातः 08:00 बजे स्थान ग्राम पाथरी सुरेश सेठ के मकान के सामने लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50/एम-1132 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर आहत प्रेमलाल को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?
- (3) क्या आरोपी ने उक्त घटना समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन तथा बीमा के चलाया ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2, तथा 3

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. आहत प्रेमलाल (अ.सा.1) का कथन है वह हाजिर अदालत आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2006 को सुबह 08:00 बजे की है। वह ग्राम पाथरी में साईकिल की दुकान में पंचर बना रहा था उसी समय दमोह की ओर से सुरेश का ट्रेक्टर आ रहा था जिसने आकर उसे टक्कर मार दी जिसके लगने से वह बेहोश हो गया था उसे होश बैहर अस्पताल में आया। पंचर बनाते समय उसका सिर नीचे होने से वह ट्रेक्टर की गति व चालक को नहीं देख पाया। उसका ईलाज हुआ था पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6. नामदेव खोडपे (अ.सा.7) का कथन है कि वह घटना के समय अपनी मोटरसाईकिल का पंचर बनाने के लिए प्रेमलाल की साईकिल पंचर की दुकान पर गया। साईड में एक ट्रेक्टर खड़ा था। ट्रेक्टर में लगी चाबी को महेश नाम के लड़के ने घुमाया तो ट्रेक्टर प्रेमलाल से टकराकर कमर में चढ़ गया जिसे पसली व सीने में चोट आयी थी। प्रेमलाल को अस्पताल लेकर गये

थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष सरपंच के ट्रेक्टर को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी03 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7. डां. एन.एस.कुमरे (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 08.03.2006 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चौकी पाथरी से आरक्षक द्वारा आहत प्रेमलाल को परीक्षण हेतु लाने पर परीक्षण करने पर उन्होंने सीने के बायीं तरफ कंटीयूजन, दाहिने सीने पर कंटीयूजन विथ अब्रेजन, कोहनी के बायें तरफ कंटीयूजन तथा दाहिने भुजा में अब्रेजन पाया था। उन्होंने चोटों के परीक्षण के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। चोटें कड़ी व बोथरी वस्तु से आना संभावित थीं। मरीज को आगे ईलाज हेतु अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं सर्जिकल विशेषज्ञ के पास जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी06 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

8. डां. वी.पी. समद (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 29.03.2006 को आहत प्रेमलाल की छाती की एक्सरे प्लेट क्रमांक 712 का परीक्षण करने पर उन्होंने दाहिने ओर की दूसरी तथा तीसरी पसली में अस्थिभंग होना पाया था उनकी एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी08 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

9. सुभाष (अ.सा.6) का कथन है कि दिनांक 08.03.2006 को थाना रूपझर में पदस्थापना के दौरान उसे चौकी पाथरी से प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी01 असल नम्बरी हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 28/06 आरोपी महेश के विरुद्ध लेखबद्ध किया था जो प्र.पी09 है जिसके ए से ए भाग उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के पास वाहन चलाने का लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन तथा बीमा ना होने से अंतिम प्रतिवेदन में मोटर यान अधिनियम की धारा बढ़ायी गयी थी।

10. के.सी.पटले (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 08.03.2006 को पुलिस चौकी पाथरी में प्रार्थी सुंदरसिंह के चौकी आकर आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध उसके द्वारा शून्य पर अपराध कायम कर कायमी प्र.पी01 बनाया था। उक्त दिनांक को ही आरक्षक विनोद कुसरे को असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल जाकर प्रार्थी सुरेन्द्रसिंह की निशांदाही पर मौकानक्शा प्र.पी02 बनाया था। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से एक ट्रेक्टर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी04 बनाया था उक्त समस्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 08.03.2006 को ही प्रार्थी सुरेशसिंह साक्षी

बब्बुखान, नामदेव तथा दिनांक 30.03.2006 को आहत प्रेमलाल के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। रिपोर्ट करने के बाद आहत को चिकित्सीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भेजा था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत थाना प्रभारी के माध्यम से चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

11. उपरोक्त साक्ष्य से घटना दिनांक को ट्रेक्टर द्वारा कारित दुर्घटना में आहत प्रेमलाल को घोर उपहति होना सिद्ध होता है। परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी द्वारा कारित की गयी थी। इस संबंध में अपुष्ट साक्ष्य है। आहत प्रेमलाल अ0सा01 द्वारा ट्रेक्टर की गति तथा चालक को देखने से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अपने पुलिस कथन प्र.पी.01 के ए से ए भाग कि आरोपी द्वारा लापरवाही पूर्वक ट्रेक्टर चलाकर उसे टक्कर मारी थी, से स्पष्ट इंकार किया है तथा अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने हाजिर अदालत आरोपी को कभी ड्रायविंग करते नहीं देखा है तथा घटना दिनांक को मौके पर आरोपी को नहीं देखा था। यद्यपि नामदेव अ0सा07 ने महेश नाम के लड़के द्वारा दुर्घटना करने के कथन किये हैं। परंतु उक्त साक्षी ने अपने परीक्षण में प्रकरण के अभियुक्त महेश यादव द्वारा ही दुर्घटना करने के कोई विशिष्ट कथन नहीं किये हैं। अभियोजन द्वारा परिवादी सुंदरसिंह का परीक्षण नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में घटना के समय अभियुक्त द्वारा ही वाहन चलाने के तथ्य पर संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है। क्योंकि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा ही प्रश्नगत वाहन का चालन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम. पी50/एम-1132 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत प्रेमलाल को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित किया क्योंकि अभियुक्त द्वारा वाहन चलाना ही प्रमाणित नहीं है।

12. अतः अभियुक्त महेश यादव को धारा 279,338 भा.दं0सं0 एवं मो.या.अधि.की धारा 3/181, 39/192 एवं 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 50/एम-1132 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की

दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

15. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)